पत्रांक / जी0एस0टी0 / शोध / डाटा माईग्रेशन / 2016–17 622 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 1, ~~फरवरी~~ मार्च, 2017

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,**

मुख्यालय के पत्र संख्या–शोध / जी0एस0टी0 / 2016–17 / 482 / वाणिज्य कर दिनांक 28.12.2016 व प0सं0–जी0एस0टी0 / शोध / डाटा माईग्रेशन / 2016–17 / 516 / वाणिज्य कर दिनांक 05.01.17 व जी0एस0टी0 / शोध / डाटा माईग्रेशन / 2016–17 / 528 / वाणिज्य कर दिनांक 11.01.2017 व जी0एस0टी0 / शोध / डाटा माईग्रेशन / 2016–17 / 566 / वाणिज्य कर दिनांक 27.01.17 के द्वारा उत्तर प्रदेश में वैट के पंजीकृत व्यापारियों को जी0एस0टी0 पोर्टल पर एक्टिवेशन /एनरोलमेंट कराने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

दिनांक 26.02.17 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों में से कुल 656058 (निरस्त पंजीयन की संख्या को घटाकर) व्यापारियों के प्रोविजनल आई0डी0 /पासवर्ड प्राप्त हुए है, जिनमें से 495718 व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर एक्टिवेशन कराया गया है जो 75.56% है। परन्तु 16358 व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर एनरोलमेन्ट कराया गया है जो कि कुल का मात्र 2.5% है। अतः जितने व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर एक्टिवेशन करा लिया गया है उनकी एनरोलमेन्ट की प्रक्रिया सम्पूर्ण कराना अत्यन्त आवश्यक है। **वर्तमान में digital signature तथा e-sign दोनों ही सुविधाएँ जी0एस0टी0 पोर्टल पर उपलब्ध हैं व इनमें से किसी एक का प्रयोग करके एनरोलमेन्ट डाक्यूमेन्ट sign किया जा सकता है। इस तथ्य का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।**

इस सम्बन्ध में डीलर को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप भी जी0एस0टी0एन0 द्वारा प्रेषित किया गया है। यह प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। अतः जिन डीलर्स द्वारा एक्टिवेशन कर लिया गया है किन्तु एनरोलमेन्ट नहीं किया गया है, ऐसे व्यापारियों को पत्र द्वारा सूचित करते हुए दिनांक 15.03.17 तक शत्–प्रतिशत एनरोलमेन्ट कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार**

**(विवेक कुमार)**
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

**प्रतिलिपिः**–1–ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0 अनुभाग) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराना एवं sms तथा email के माध्यम से सभी डीलर्स को भेजना सुनिश्चित करें तथा cancelled dealers को भी निर्धारित प्रारूप में sms भेजना सुनिश्चित करें (प्रारूप संलग्न)।

एडीशनल कमिश्नर जी0एस0टी0
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।